ऑन लाईन नं. GCMS 2023/231

न्यायालय : न्यायनिर्णयन अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी : श्री सुभाष कुमार, आर.ए.एस.

न्याय निर्णयन आवेदन सं0 82/2023

श्री हंसराज गोदारा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यलय अभिहित अधिकारी, (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर।

बनाम

1. श्री जितेन्द्र कुमार पुत्र श्री वजीरचंद (विकेता) मै. वजीरचंद सदानंद, शॉप नं.11, धानमंडी गजसिंहपुर, तह. पदमपुर, श्रीगंगानगर
2. श्रीमती वनीता रानी पत्नी श्री जितेन्द्र कुमार पुत्र श्री वजीरचंद(मालिक) मै. वजीरचंद सदानंद, शॉप नं.11, धानमंडी गजसिंहपुर, तह. पदमपुर, श्रीगंगानगर

अपराध अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26(2)(ii)/52

निर्णय दिनांकः 13.06.2025

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी श्रीगंगानगर में खाद्य सुरक्षा अधिकारी का कार्य सम्पादन करने हेतू राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना नोटिफिकेशन क्रमांक एच/एफएसएसए/नोटिफिकेशन/2011/497 दिनांक 18.08.2011 के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी की शक्तियों प्रयुक्त करने के लिये अधिकृत किया गया है। श्रीमान आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज. जयपुर के आदेश क्रमांक संस्था/एफएसएसए/2021/258 दिनांक 10.08.2021 के अनुसार कार्य क्षेत्र कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी श्रीगंगानगर आंवटित किया गया है और श्रीगंगानगर जिले के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र कार्यक्षेत्र में आते है। अधिसूचना एवं आदेश की फोटो प्रतियां न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी लक्ष्मीकांत गुप्ता दिनांक 16.10.2021 को समय दोपहर 03.00 बजे को **मै. वजीरचंद सदानंद, शॉप नं.11, धानमंडी गजसिंहपुर, तह. पदमपुर, श्रीगंगानगर** पर पहुँचे, मौके पर **श्री जितेन्द्र कुमार पुत्र श्री वजीरचंद** को अपना परिचय दे कर दुकान पर रखे **चाय (जादु ब्राण्ड)** के बारे मे जानकारी चाही इस पर विकेता ने स्वंय को दुकान का मालिक बताया तथा दुकान के अन्दर 500–500 ग्राम के 24 पैकेट **चाय (जादु ब्राण्ड)** की आमजन के बेचान वास्ते होना बताया **चाय (जादु ब्राण्ड)** मे मिलावट का शक होने पर विकेता से नमूना जाँच वास्ते **चाय (जादु ब्राण्ड)** का नमुना लेने की इच्छा विक्रेता को फॉर्म न. 5 ए भरकर देते हुऐ वयक्त की मोके पर ही विक्रेता को फॉर्म न. 5 ए भरकर दीया जिस पर विक्रेता व गवाहन के व खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। फार्म न 5ए न्याय निर्णयन के साथ संलग्न है।

तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा संस्थान का निरीक्षण करने पर आम जनता को विक्रय हेतु उपलब्ध **चाय (जादु ब्राण्ड)** 500 ग्राम के चार पैक पैकेट को विक्रेता से खरीद कर लिया। विक्रेता का मौके पर ही उक्त कयशुदा **चाय (जादु ब्राण्ड)** का नगद भुगतान 800 रूपये किया तथा केशमीमो वनवाकर लिया जिस पर विकेता तथा गवाहन के हस्ताक्षर हैं और तात्कालिन खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर हैं। केशमीमो न्यायनिर्णय आवेदन के साथ संलग्न है।

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म सं. 5 ए की प्रतियों तैयार कर खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक तथा गवाहान को पढ़कर सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे **जितेन्द्र कुमार पुत्र श्री वजीरचंद** एवं गवाहान ने भी पढ़कर समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। फार्म से 5 ए की एक प्रति खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक को देकर असल पर रसीद प्राप्त की। फार्म सं. 5 ए मूल संलग्न न्यायनिर्णयन आवेदन है।

तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **चाय (जादु ब्राण्ड)** 500 ग्रम के चारों मूल पैके पैकेट पर लेबल तैयार कर चिपकायें और लेबलों पर डी.ओ. श्रीगंगानगर के कोड एवं क्रमांक **के–1206** दर्ज किया प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक तथा गवाहान के हस्ताक्षर करायें। चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. श्री गंगानगर की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं **के–1206** नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांधकर नियतानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्यकारोबरकर्ता एवं मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर पर आयें। चारों नमूना भागों के पेपर पर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर तत्कालिन खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर कर सील बन्द चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया।

मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर खाद्यकारोबारकर्ता एवं विक्रेता तथा गवाहान को पढकर, सुनाकर एवं समझकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे **जितेन्द्र कुमार पुत्र श्री वजीरचंद** एवं गवाहान ने भी पढकर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। तत्कालिन खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये।

तत्कालिन खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फार्म नं 06 की छः प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील मोहर किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 06 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक बीकानेर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की और दो फार्म सं. 06 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपडी से सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक बीकानेर को जमा कराकर फार्म सं. 6 की पुस्तक पर रसीद प्राप्त की एवं शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म संख्या 6 की दो प्रतियों और चौथा भाग मय फार्म संख्या 6 की एक प्रति के आउटर कवर में सील वन्द कर डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

स्टेट सैन्ट्रल पब्लिक हैल्थ लैबोरेटरी, बीकानेर (राजस्थान) द्वारा जारी जांच रिपोर्ट क्रमांक :–:L.S./352/Act/2021/349 Dated 25-11-2021 को प्राप्त हुई, जिसके अनुसार खाद्य नमूना **K-1206 Misbranded Food** होना पाया गया। इस पर अभिहीत अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर ने प्रकरण में अभियुक्त **श्री जितेन्द्र कुमार पुत्र श्री वजीरचंद(विक्रेता) और श्रीमती वनीता रानी पत्नी श्री जितेन्द्र कुमार(मालिक), मै. वजीरचंद सदानंद, शॉप न. 11 धानमंडी, गजसिंहपुर, पदमपुर, श्रीगंगानगर** द्वारा अमानक स्तर **चाय (जादु ब्राण्ड)** का विक्रय किये जाने को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (ii)/52 के अन्तर्गत न्याय निर्णयन आवेदन दिनांक 22.08.2023 को प्रस्तुत किया गया।

परिवाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अभियुक्त को तलब किया गया। अभियुक्त को परिवाद की प्रति उपलब्ध कराई गई।

अभियुक्त ने अपने जवाव में कथन किया कि प्रार्थी की गजसिंहपुर मै. वजीरचंद सदानंद दुआ किराना की दुकान है, जिस पर खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा जादु ब्रांड चाय का बंद डीबा सैम्पल 16.10.2021 को लिया गया था, जिसमें विभाग द्वारा जादु ब्रांड मिसब्रांड माना है। प्रार्थी द्वार जादु ब्रांड का वंद डिब्बा खरीदा गया है और वंद डिब्बा विकय किया गया है, इसलिए इसकी जिम्मेवारी जादू कंपनी की है, इसलिए प्रार्थी का इसमें कोई दोष नहीं है।

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

परिवाद पर दोनों पक्षों को सुना गया।

राज पैरोकार ने अपनी बहस में बताया कि अभियुक्त से लिया गया **चाय (जादु ब्राण्ड)** का नमूना **K-1206** स्टेट सैन्ट्रल पब्लिक हैल्थ लैबोरेटरी, बीकानेर (राजस्थान) द्वारा जारी जांच रिपोर्ट क्रमांक :—:L.S./352/Act/2021/349 Dated 25-11-2021 द्वारा **Misbranded Food** होना पाया गया है। अतः अभियुक्त के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा (2)(ii) का उल्लधन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 में निर्धारित है।

अभियुक्त ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रार्थी ने उक्त तिल जादू ब्रांड मे सुधार कर लिया है भविष्य में प्रार्थी ऐसी गलती दौबारा नही करेगा प्रार्थी के साथ नरमी का रूख अपनाते हुये प्रार्थी के वाद का आज ही निस्तारण किया जावे आपकी अति कृपा होगी।

बहस पर मनन किया गया । पत्रावली का अवलोकन किया गया।

इस प्रकार अभियुक्त से लिया गया Sample of " **Tea (Jadu)**" bearing Code No. and Sr. No. K-1206 of Designated Officer cum The Chief Medical & Health Officer, Sriganganagar is **Misbranded Food** Under Section 3[1][zf][c][i] of FSS Act ,2006 की जांच रिपोर्ट पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है।

फलस्वरूप अभियुक्त **श्री जितेन्द्र कुमार पुत्र श्री वजीरचंद(विकेता) और श्रीमती वनीता रानी पत्नी श्री जितेन्द्र कुमार(मालिक), मै. वजीरचंद सदानंद, शॉप न. 11 धानमंडी, गजसिंहपुर, पदमपुर, श्रीगंगानगर** को एक्ट 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (ii) के अन्तर्गत घटित अपराध का दोषी पाया जाता है। फलतः अभियुक्त **श्री जितेन्द्र कुमार पुत्र श्री वजीरचंद(विकेता) और श्रीमती वनीता रानी पत्नी श्री जितेन्द्र कुमार(मालिक), मै. वजीरचंद सदानंद, शॉप न. 11 धानमंडी, गजसिंहपुर, पदमपुर, श्रीगंगानगर** को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 के अन्तर्गत राशि रूपये 07,000—00 (अखरे रूपये सात हजार मात्र) के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है।

अभियुक्त को यह निर्देश दिये जाते है कि भविष्य में खाद्य पदार्थ में डालने के लिए उच्च गुणवत्ता के घटकों का इस्तेमाल करें, ताकि ऐसे खाद्य पदार्थों से उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। इन आदेशों की पालना सख्ती से की जावे। निर्णय की प्रति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 13.06.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुमाषि कुमार)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट(प्रशा0)
श्रीगंगानगर।